

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1128 / 2011 / अजमेर.

मैसर्स एम. पी. एण्ड ब्रदर्स, ब्यावर (अजमेर).

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, राज. जयपुर.

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24 / 11 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 80 / 09-10 / वैट / अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.02.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.12.2008 को वाहन संख्या एच.आर. 55 / 2522 को दिल्ली-जयपुर रोड़ पर दौलतपुरा टोकनाके के पास चैक किया गया। वाहन में विभिन्न श्रेणी का परचून सामान दिल्ली से ब्यावर, पाली व जोधपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। उक्त माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं माल के भौतिक सत्यापन में माल की किस्म, मात्रा व कीमत में अन्तर पाये जाने, प्रेषक व्यवहारी व अंकित टिन नम्बर मिथ्या होने तथा घोषणा पत्र वैट-47 संलग्न नहीं होने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन के आधार पर शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अलावा अन्य व्यवहारियों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनसे सम्बन्धित प्रकरणों को प्रशमित किये जाने हेतु आवेदन पेश किये गये, जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए तदनुसार प्रकरणों का निस्तारण कर दिया।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) व 76(9) के तहत नोटिस जारी किये गये। धारा 76(9) के तहत जारी नोटिस की पालना में वाहन स्वामी द्वारा प्रकरण के प्रशमन हेतु निवेदन किया गया, जिसे भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए धारा 76(9) का प्रकरण प्रशमित कर दिया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपना जवाब दिनांक 14.01.2009 को प्रस्तुत करते हुए घोषणा पत्र वेट-47 संख्या 3821314 प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब एवं घोषणा पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि प्रस्तुत बिल संख्या 422/9 दिनांक 22.12.2008 का प्रेषक व्यवहारी अस्तित्वहीन है एवं इसका टिन नं० मिथ्या है, साथ ही वाहन में लदे हुए माल व बिल में अंकित माल की मात्रा, किस्म व कीमत में अन्तर है। जांच के एक माह पश्चात् प्रस्तुत जवाब के साथ जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के हस्ताक्षर भिन्न है। इस प्रकार मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहनित किया जाना अवधारित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित माल की कीमत बाजार भाव से अवधारित करते हुए कुल मूल्यांकन रुपये 2,15,075/- पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 64,523/- का आरोपण आदेश दिनांक 26.02.2009 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्ररूप वेट-47 एवं वेट-49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच दिनांक 24.12.2008 को परिवहनित विवादित माल के साथ घोषणा पत्र वेट-47 नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रिम कथन किया कि सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया। इस प्रकार माननीय



लगातार.....3

उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी.मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया अविधिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में केवलमात्र घोषणा पत्र के अभाव में ही शास्ति का आरोपण नहीं किया गया है, बल्कि वाहन में परिवहनित माल प्रस्तुत बिल में अंकित माल से भिन्न पाया गया, जिसकी मात्रा, किस्म व कीमत में भिन्नता थी। दिल्ली स्थित प्रेषक व्यवहारी अस्तित्वहीन पाया गया, जिसके टिन नं० मिथ्या पाये गये। पकड़े गये वाहन में ब्यावर, पाली व जोधपुर के अन्य व्यवहारियों का माल भी परिवहनित किया जा रहा था, जिनके दस्तावेज भी मिथ्या पाये जाने पर उनसे सम्बन्धित व्यवहारियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रकरण का प्रशमन करवाया गया है। विवादित माल के सन्दर्भ में भी धारा 76(9) के अभियोग को वाहन स्वामी द्वारा प्रशमित करवाया जा चुका है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि करापवंचन की मंशा से मिथ्या/बोगस दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था। चैकिंग के लगभग एक माह पश्चात् प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट-47 में प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से भिन्न पाये गये। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण में व्यवहारी की करापवंचन की मंशा की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

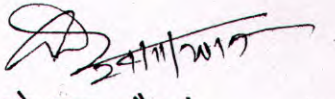
7. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य ये थे कि वाहन की जांच में विभिन्न व्यवसायियों के माल को रोका गया था जिनका निस्तारण पृथक से किया गया था। उक्त अपीलार्थी द्वारा जो माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये परिवहनित किया जा रहा था उसमें अधिनियम की धारा 76(2) में वांछित दस्तावेज के रूप में प्रथम जांच में ट्रांसपोर्टर द्वारा बिल्टी संख्या 1529 दिनांक 22.12.2008 जिसमें 11 नग किराणा अंकित था, प्रस्तुत की गयी थी एवं इस माल से सम्बन्धित बिल संख्या 422 दिनांक 22.12.2008 जिसमें 11 नग में भरे माल की पूर्ण विगत,



लगातार.....4

वजन, दर एवं मूल्य दर्ज था, भी प्रस्तुत किया गया जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे एवं कुल कीमत रुपये 1,03,390/- घोषित थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल हेतु घोषणा पत्र वैट-47 होना अनिवार्य मानते हुए नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब व्यवसायी द्वारा दिनांक 14.01.2009 को माल मालिक के रूप में उपस्थित होकर दिया गया था, जो पत्रावली के पृष्ठ 43 पर उपलब्ध है जिसमें यह कथन किया गया था कि माल के साथ बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत थी जिसमें कोई विवाद नहीं था एवं यह भी कथन किया कि वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में व्यवसायियों की कठिनाईयों को देखते हुए, घोषणा पत्रों के अभाव में शास्ति आरोपित नहीं करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। साथ ही वैट-47 भी पूर्ण भरकर पेश कर दिया था। प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि माल की जांच में बिल एवं बिल्टी उपलब्ध थे एवं दिनांक 01.05.2008 से सीमांत जांच चौकियां हटाने एवं घोषणा पत्र लागू होने के मध्य कुछ भ्रांतियों से घोषणा पत्र नहीं दिया गया परन्तु नोटिस के तुरन्त बाद घोषणा पत्र वैट-47 पेश कर दिया गया था जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611 के आलोक में स्वीकार्य था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार कर एवं माल की भौतिक जांच के बिना ही माल की घोषित कीमत रुपये 1,03,395/- को स्वैच्छा से आंकलन कर बिना किसी आधार के रुपये 2,15,075/- मानकर उसकी 30 प्रतिशत दर से शास्ति रुपये 64,523/- आरोपित की गई, जो विधि एवं न्यायसम्मत नहीं है। अधिनियम की धारा 76(6) में शास्ति केवल तभी आरोपित की जा सकती है जब धारा 76(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकरण में धारा 76(2) में वांछित बिल एवं बिल्टी परिवहन के समय उपलब्ध थे एवं नोटिस पर घोषणा पत्र वैट-47 भी प्रस्तुत कर दिया गया था जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पूर्ति योग्य था ऐसी स्थिति में बिल में घोषित राशि को बिना किसी आधार के अस्वीकार कर जो शास्ति धारा 76(6) के तहत आरोपित की गयी है वह विधि एवं न्याय के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य